प्रेषक,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रेष्य,
प्रबन्धक
लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल
लोनी गाजियाबाद

पत्रांक/मान्यता/ 1990-92 /2014–15/ दिनांक– 09/1/15

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

आपके तारीख 27.08.2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल लोनी गाजियाबाद को तरीख 01.07.2015 से तारीख 30.06.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 26.12.2014 की कार्यवाही में व्यक्त सहमति के आधार पर अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों को पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदाान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। एसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–
   i. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।
   ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।
   iii. प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।
   iv. प्राथमिक शिक्षा तथा उच्चं प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

Scanned with OKEN Scanner

vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजि नही करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–4197.319 वर्ग मी0 . कुल निर्मित क्षेत्र–782.87 कीड़ा [illegible] का क्षेत्रफल–है

कक्षाओं की संख्या–15 कक्ष प्राधानाध्यपक कक्ष–1 सह–कार्यालय–1 सह–भांडार के लिए कक्ष–01

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–04–04 पेयजल सुविधा–है

मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई –01 बाधा रहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13 विद्यालय क लेखाओं की किसी चार्टड, अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जे0टी0टी0–03 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्याकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐ।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18. छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु प्रति छात्र 9 वर्ग फीट का स्थान सुरक्षित करते हुए कक्षों की माप के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित की जाऐ।

19. विद्यालय में अर्ह व टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अध्यापकों की नियुक्ति की जाए साथ ही आरक्षण का पालन किया जाए।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0सं0/मान्यता/ /2014–15/ तद्दिनांक–

प्रतिलिपि–

निम्नाकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर, गाजियाबाद।
3. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

<u>कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।</u>

पत्रांक शि0स0/ 12445-46 /2018–19 दिनांक 27/11/18

प्रबन्धक,
लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल
लोनी गाजियाबाद।

कार्यालय के पत्रांक शि0स0/6990–92/14–15 दिनांक 09–01–2015 द्वारा आपके विद्यालय को जूनियर स्तर की तीन वर्ष के लिये अनन्तिम रूप से मान्यता प्रदान की गई थी।

खण्ड शिक्षा अधिकारी लोनी गाजियाबाद की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या–418/ 79–6–2013–18 (एम) (7)/ 89 दिनांक 08 मई 2013 में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्ते पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरूद्ध कोई शिकायत न होने के कारण यह मान लिया गया है कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है। विद्यालय को भविष्य में भी मान्यता की शर्तो के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(राजेश कुमार श्रीवास)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0स0 शि0स0/ 12445-46 /2018–19 तद्दिनांक
प्रतिलिपि– खण्ड शिक्षा अधिकारी लोनी गाजियाबाद को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner